



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701()पंरावि/प्रशा. 2/क.अभि./पा.वे./निलंबन/वैर-भरतपुर/19/3733 जयपुर, दिनांक:-5.12.19

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 2257 दिनांक 5.12.19 में सहायक अभियंता के स्थान पर सहायक अभियंता (पातेय वेतन पर) पढा जावें।

LI
5/12/19
(सुनील शर्मा)

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(तृतीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. उपमुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि.एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
4. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
5. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, वैर जिला भरतपुर।
7. श्री रामफल शर्मा, निलम्बित सहायक अभियन्ता (पातेय वेतन पर) पंचायत समिति वैर, भरतपुर।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी/आरक्षी पत्रावली।

LI
5/12/19

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(तृतीय)